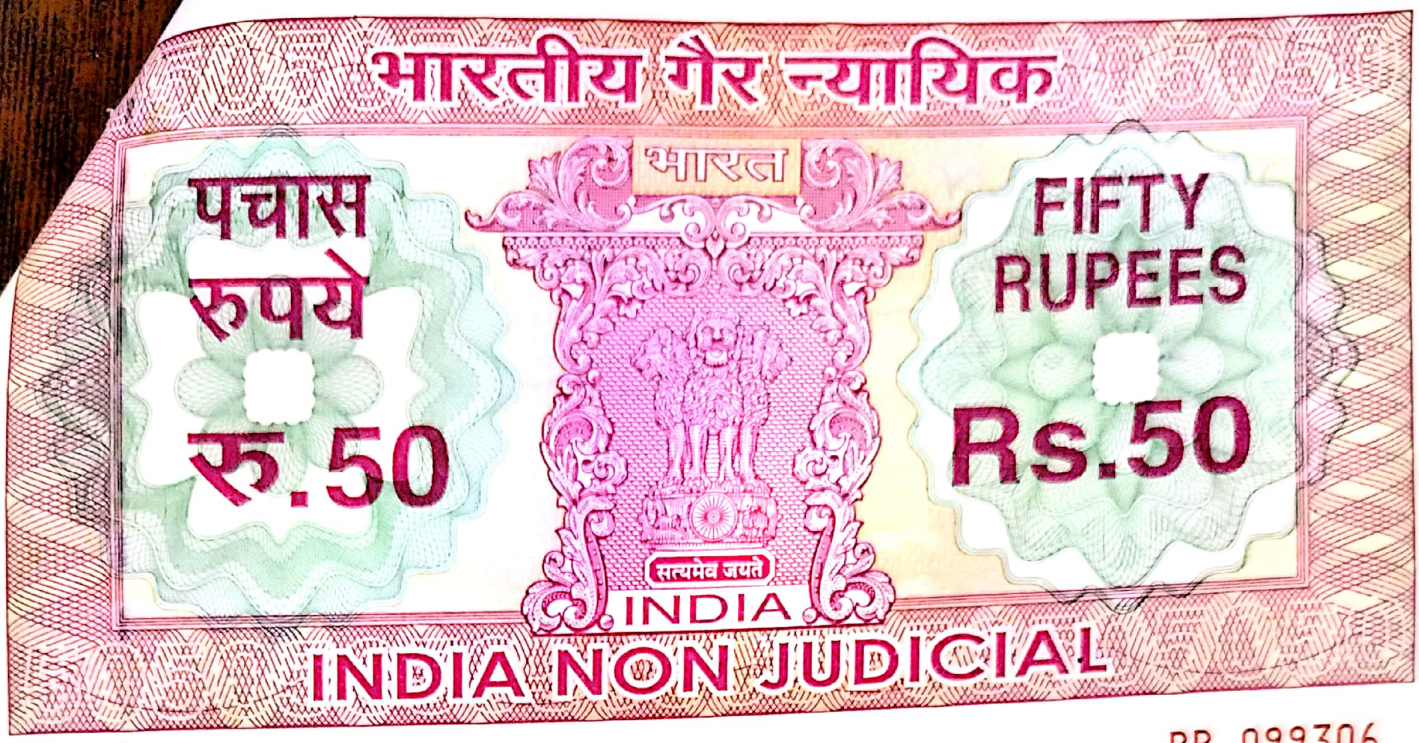

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BR 099306

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

**अ- शैक्षिक सहायता-**

बेरोजगार निर्धन एवं जरूरतमन्द छात्र-छात्राओ को निम्नलिखित माध्यम से शैक्षिक प्रशिक्षण एवं सहायता देना :-

क:- इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा जिसमें पालीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कालेज फॉर्मेसी, खेल तथा प्रबन्ध संस्थान खोलना एवं प्रबन्ध करना।

ख:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ करना।

ग:- विधि महाविद्यालय खोलना तथा उसका प्रबन्धन करना।

घ:- एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, पैरामेडिकल संस्थान, डेंटल कालेज की स्थापना करना तथा उनके संचालन के अभिमानक के अनुरूप अस्पताल का निर्माण करना तथा उन्हें संचालित करना।

ङ:- कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, वाणिज्य महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय,तथा संगीत एवं नाट्य महाविद्यालय,की संस्थापना एवं संचालित करना, सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापो को बढ़ावा देना।

च:- वाचनालय कक्ष, पुस्तक संग्रहालय तथा शैक्षिक या सांस्कृतिक शिविरो का प्रबन्ध या उसकी सहायता करना तथा इस प्रकार के संस्थानो एवं शिविरो को समर्थन देना।

छ:- न्यास के उद्देश्यो के अनुसार बिना लाभ अर्जित किये हुये छात्रावासों प्रेक्षागृहो, जिमनेजियम, आडीटोरियम, तथा स्टेडियम व म्यूजियम का निर्माण करना।

ज:- शैक्षिक समूहों तथा सम्मेलनो का आयोजन करना, उसकी सहायता एवं उत्साहवर्धन करना।

झ:- छात्र-छात्राओ हेतु अंग्रेजी व हिन्दी माध्यम के प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना।

रजी आलम पवार

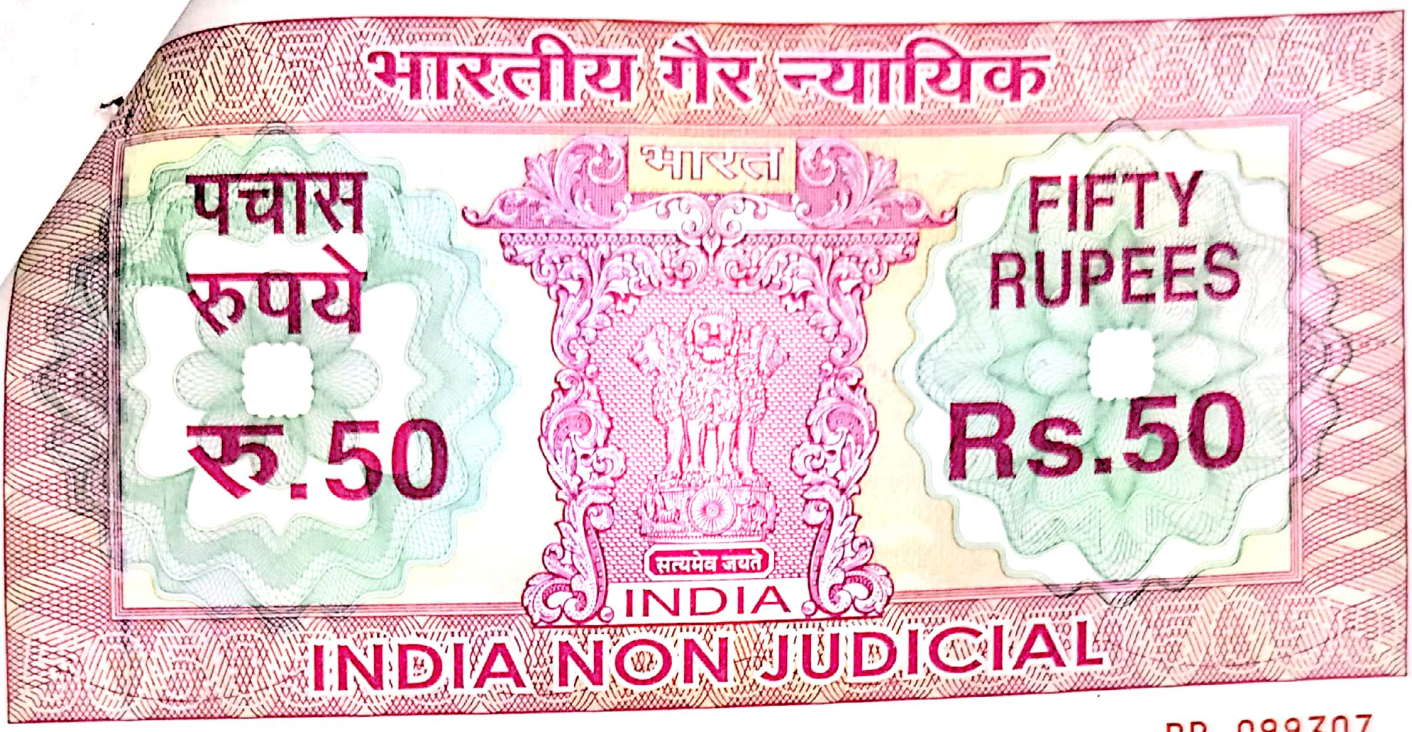

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BR 099307

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

ट:- जाति, धर्म समुदाय, वर्ग या लिंग, का भेद किये बिना निर्धन जरूरतमंद एवं योग्य छात्रों को उनकी फीस में छूट देकर छात्रवृत्ति तथा पुरस्कार आदि देकर सहायता करना।

ठ:- योग्य एवं जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति, अनुदान सहायता तथा पुरस्कार देना, न्यास द्वारा भू0पू सैनिको के आश्रितो उनकी विधवाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एवं राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय व राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत व्यक्तियो को अनुदान देना।

ड:- शैक्षिक एवं सामाजिक उद्देश्यो से स्थापित संस्थानो को नगद भुगतान देना एवं पुस्तकीय व शैक्षणिक सामग्री या अन्य किसी रूप में दान, उपहार देना।

ढ:- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भूमि अधिग्रहित करना, इमारत बनवाना तथा न्यास के उद्देश्यो हेतु कोष एकत्रित करना।

ण:- अच्छे विचारों व साहित्यों को पैम्पलेट, बुकलेट तथा पुस्तको आदि के प्रशासन द्वारा या संगोष्ठियों, सभाओं कार्यशालाओं द्वारा बिना लाभार्जन प्रसारित करना।

प:- विकलॉग बच्चों हेतु अन्ध विद्यालय, मूकबधिर विद्यालय, अनाथालय तथा विकलॉग पुनर्वास केन्द्र की स्थापना एवं संचालन।

फ:- निजी क्षेत्र का डीम्ड विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन।

ब:- कृषि स्नातक बेरोजगार के लिए एग्रीक्लीनिक एवं एग्रीविजनेस प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर संचालित करना।

भ:- समाचार पत्र-पत्रिका व फिल्म जगत की स्थापना करना जिसमें धारावाहिक, विज्ञापन फिल्म आदि जो भी भविष्य में आधुनिकतम तरीके से विकसित हों व समाचार चैनलों, की स्थापना करना जिससे की समाज में संदेश पहुँचाने का कार्य किया जा सकें।

**ब- चिकित्सीय सहायता:-**

निर्धन एवं जरूरतमन्द लोगो को चिकित्सीय सहायता देना विषेश रूप से-

अ:- खैराती चिकित्सालयों, नर्सिंग होम तथा मैटरनिटीहोम, ऑख अस्पताल,आदि को प्रारम्भ करना।

स:- निर्धन एवं जरूरतमन्द लोगो को पूर्णतया निःशुल्क अथवा आधे शुल्क पर चिकित्सा सुविधा देना।

द:- निर्धन एवं जरूरतमन्द लोगो को न्यास द्वारा संचालित किसी चिकित्सालय से सहायता देना या अन्य किसी चिकित्सालय मे भर्ती होने पर सहायता देना।

रजी अहमद पठान

Scanned with OKEN Scanner

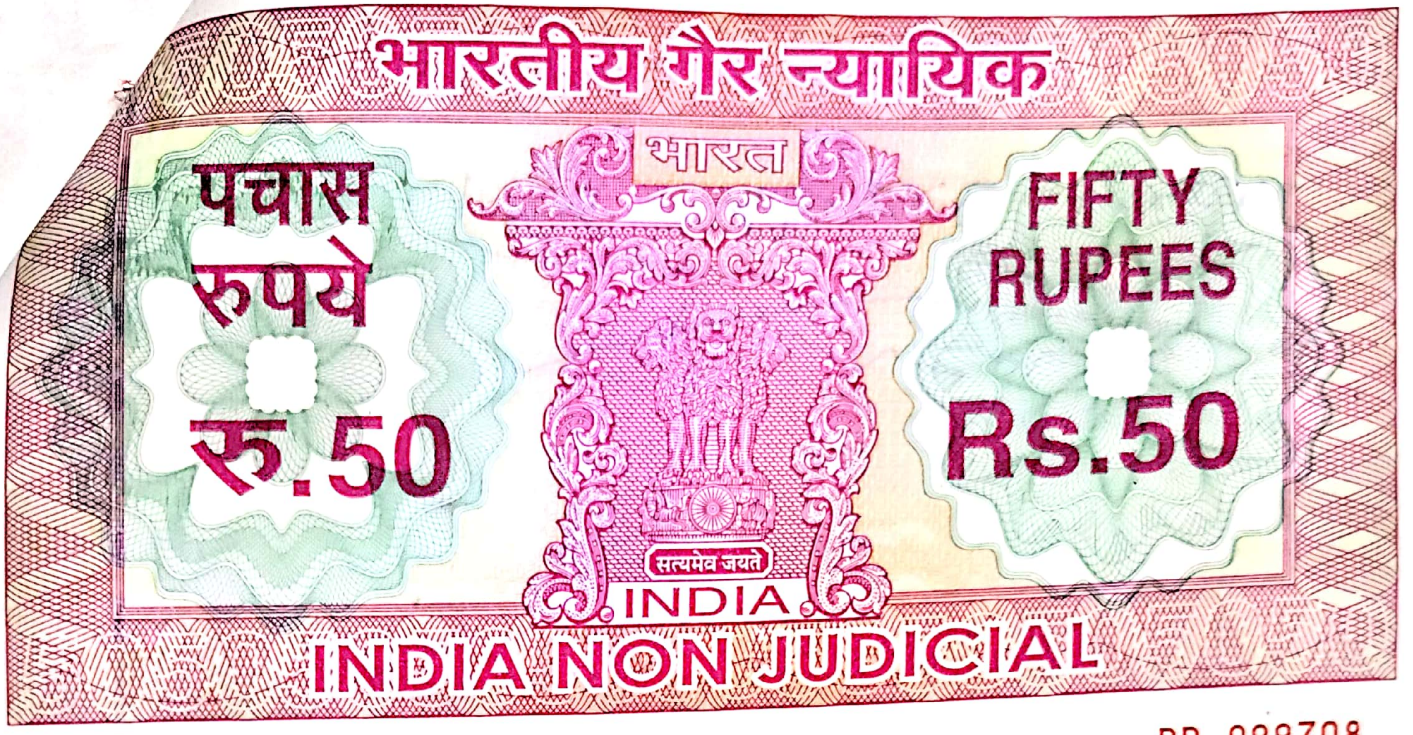

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

BR 099308

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

य:- किसी भी चिकित्सालय को या चिकित्सालय संस्थान को आपरेशन सामग्री एवं बेड आदि की सहायता देना।

र:- औषधि के क्षेत्र मे शोध कार्य हेतु किसी व्यक्ति या चिकित्सा संस्थान या चिकित्सालयों, समितियों को सहायता देना या दान लेना।

ल:- ऐसे सभी कार्यो को करना जिसमे निर्धनो की चिकित्सा होती हो।

व:- भूमि व भवन खरीद कर हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, डिस्पेंसरी नर्सिंगहोम, मेटरनिटीहोम की स्थापना करना तथा इस कार्य हेतु धन संग्रह करना।

स:- निःशुल्क नेत्र चिकित्सा सहायता शिविर, एड्स जागरूकता शिविर, विकलॉग शिविर, मद्यपान निषेध शिविर का आयोजन करना।

<u>स- सामान्य उद्देश्यः-</u>

1:- मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगो को विकास एवं उन्नयन तथा उनके स्वतंत्र जीवन एवं व्यवसाय हेतु सहायता करना।

2:- बाढ़ ग्रस्त तथा प्राकृतिक आपदा तथा अन्य विपत्तियों मे परेशान लोगो को राहत पहुँचाना।

3:- निर्धन विधवाओ के लिये संस्थानों या कोष की स्थापना।

4:- बेरोजगार व्यक्तियों तथा वृद्धजनो के लिये आवासों की स्थापना एवं रखरखाव निःशुल्क या उनके रहने के लिये शुल्क में छूट कुछ शर्तो पर देकर (एक निश्चित अवधि के लिये देकर) करना जिसमे शर्तो व अवधि का निर्धारण न्यासीगण जैसा उचित समझेंगें करेगें।

5:- जल की कमी वाले क्षेत्रो में जहाँ कहीं भी हो वहाँ पर कुआँ खुदवाना तथा पेयजल की सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराना।

6:- भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार जनसाधारण सरकार द्वारा पंजीकृत समितियों, संगठनों से नकद धन तथा नगद दान उपहार तथा चल सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्तियो का अधिकार उन शर्तो पर प्राप्त करना जो कि न्यासीगण न्यास के उद्देश्य हेतु उचित समझते हों।

7:- न्यासीगण की अनुमति से न्यास के सभी या किसी उद्देश्य हेतु बिल्डिंग बनवाना।

रजी अहमद पठान

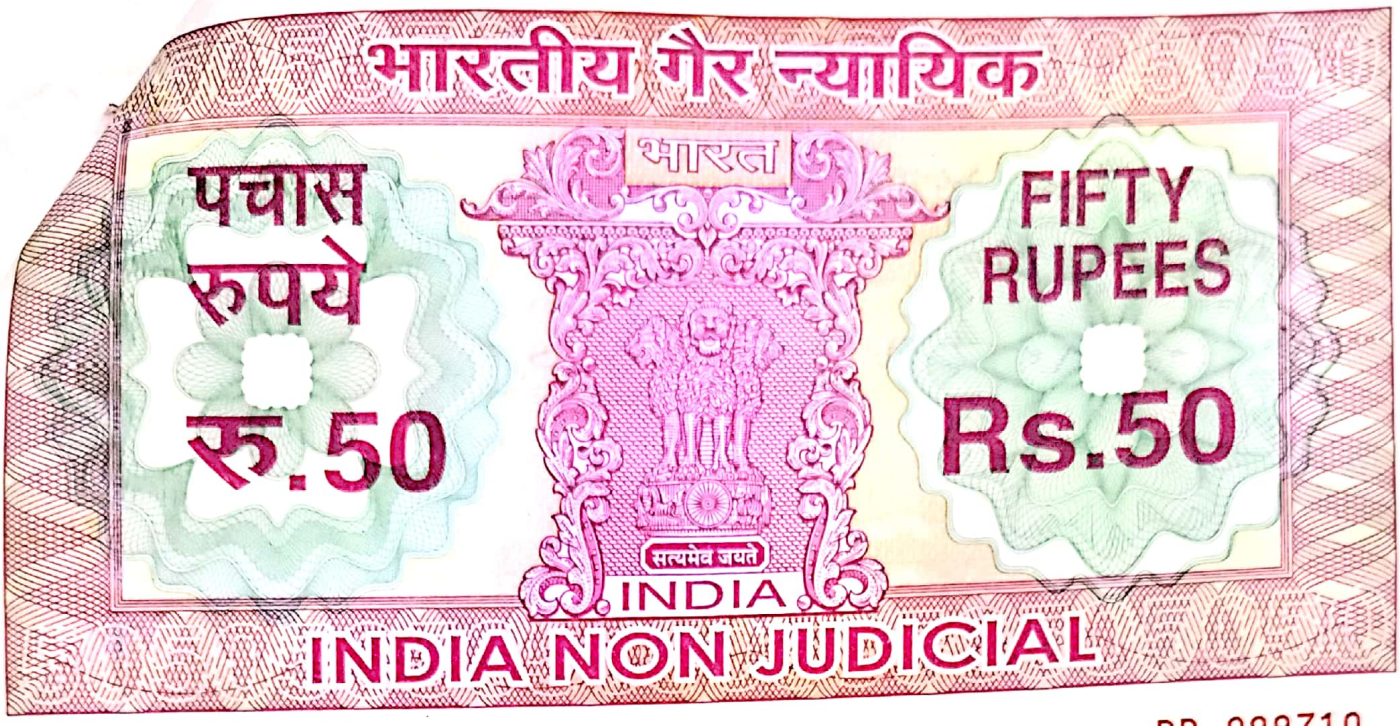


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 099310

8:- न्यासीगण की अनुमति से न्यास के सभी या किसी सम्पत्ति के अधिकार तथा हित को युक्तियुक्त कारणों से बेचना, सुधारना, प्रबन्ध करना, विकसित करना, अदला-बदली करना, लीज पर देना, मारगेज करना तथा न्यास के किसी खाता को निस्तारित कर देना।

9:- यहाँ बाद मे दिये गये उद्देश्यों गतिविधियों तथा कार्यो को संचालित करने वाले किसी न्यास संस्थान या लोगो के संगठन को सहायता देना।

10:- अन्य विधिक कार्यो गतिविधियों तथा लेखपत्रो जिसे न्यासीगण उचित समझते हो से सामान्य रूप से निष्पादित करना।

11:- उपरोक्त उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु सामान्य उद्देश्यो वाले किसी अन्य न्यास या संस्थान को न्यास में शामिल करना या उनका सहयोग करना या उनके साथ संयुक्त रूप से मिलकर प्रबन्ध न्यासी की सहमति से कार्य करना जैसा कि कानून द्वारा अनुमन्य हो।

12:- ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को उठाने, भौतिक समृद्धि प्रदान करने, सामाजिक न्याय एवं समानता दिलाने तथा उनके बौद्धिक शारीरिक एवं सामाजिक पक्षों को विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को संचालित करना।

13:- सामुदायिक विवाह की रस्मो को पूर्ण करवाने मे सहायता देना तथा सामूहिक विवाह का आयोजन व प्रोत्साहित करना।

14- न्यासीगण द्वारा तय किये गये कार्यों को करना जो जन- सामान्य के लिये लाभदायक हो।

15- व्यवसायिक संस्थान/प्रतिष्ठान व उद्योगो की स्थापना करना व पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, स्लाटर हाउस आदि की स्थापना करना।

16- भारतीय संविधान की धारा 30(1) के अन्तर्गत मुख्यतः मुस्लिम समुदाय के लिये प्री-प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट कालेज स्तर तक की शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं (यथा प्री-प्राइमरी स्कूल जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री एवं पी0जी0 कालेज) की स्थापना एवं संचालन करना जिसके दरवाजे सभी जाति, धर्म, समुदाय के लिए खुले रहेगें।

17- मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों को धारण शिक्षा हेतु मदरसा एवं दारूल उलूम तथा लडकियों को धार्मिक शिक्षा हेतु कुल्यतुल विनात की स्थापना एवं संचालन करना।

रजी अहमद पठान

Scanned with OKEN Scanner

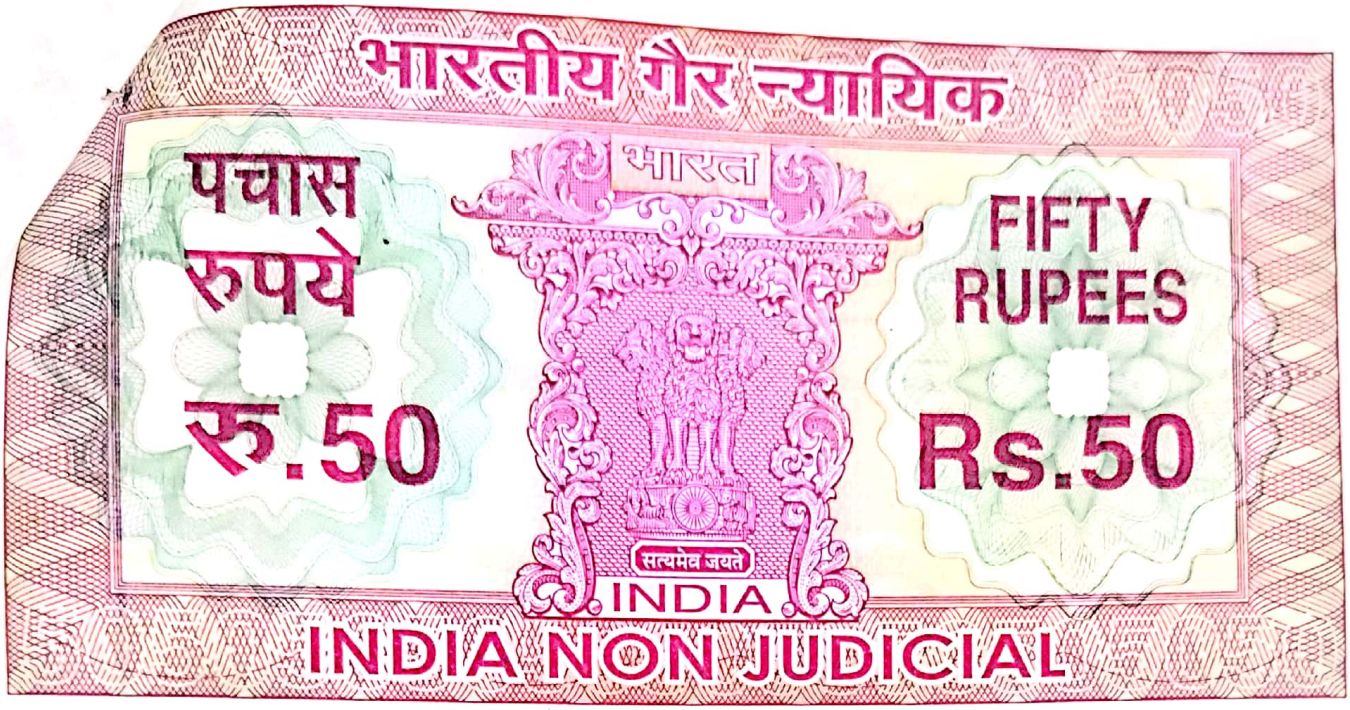

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

२०

BR 099311

18- मुस्लिम शिक्षा एवं संस्कृति की उन्नति हेतु संस्थाओं मस्जिद, मजार, रौजा, इमामबाड़ा बनवाना एवं मरम्मत कराना तथा संचालन करना।

19- मुस्लिम समाज में व्यक्ति बुराईयों एवं कुरीतियों के विरूद्ध जनजागरण करना एवं जागरूक बनाना।

20- मुस्लिम महिलाओं को समाज में बराबर की भागीदारी एवं आर्थिक उत्थान के लिए जनजागरण कर जागरूक करना।

21- मुस्लिम महिलाओं के उत्पीडन के विरूद्ध हर प्रकार की संवैधानिक सलाह एवं सुरक्षा के लिए जनजागरण कर जागरूक करना तथा सहायता प्रदान करना।

उपर्युक्त के अलावा एतद्‌द्वारा स्थापित न्यास पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी या उसमें समय-समय पर किया गया संशोधन पुर्नअधिनियम प्रभावी होगा जिसके द्वारा दान- दाताओं को आयकर से अलग रक्खा जायेगा या छूट मिलेगी ।

6

किसी वर्ष या वर्षों में उपर्युक्त आय का उपभोग करने के पश्चात् यदि कोई भाग शेष बचता है तो उसे निवेश कर दिया जायेगा और उससे समय-समय पर प्राप्त आय को ऐसे निवेश में लगाया जायेगा जिसमें एतद्‌द्वारा न्यास कोष को निवेषित करने हेतु निर्देशित एंव अधिकृत किया गया है और न्यासीगण को उसे उसी तरीके एंव उसी सीमा तक खर्च करने का और उपयोग करने का अधिकार होगा,मानो इस प्रकार का संचय या उसका भाग वर्ष या वर्षों की आय का हिस्सा था जिसमें कि उसको ऊपर कहे गये अनुसार खर्च एंव उपयोग किया गया ।

ऊपर तय किये गये लक्ष्य एंव उद्देश्यों को वहन करने में न्यासीगण के लिए यह वैध होगा कि वे स्वतंत्रतापूर्वक न्यास कोष या उसकी आय को अपने बुद्धि विवेक से उन नियमों व शर्तों पर जिसे वे उचित, समझते हों किसी न्यास,न्यासों,संस्थानों पंचायत स्थानीय परिषद या नगरपालिका की सामग्री या कोष में दान दे तथा न्यास या न्यासों के साथ सहयोग करते हुये कार्य करें व खर्चों में सहभागी बनें या नये न्यासों को धन दें किन्तु हमेशा इस शर्त पर कि लाभ किसी विशेष समुदाय,धर्म जाति या लिंग तक सीमित न हो।

रजी आलम पठान

Scanned with OKEN Scanner

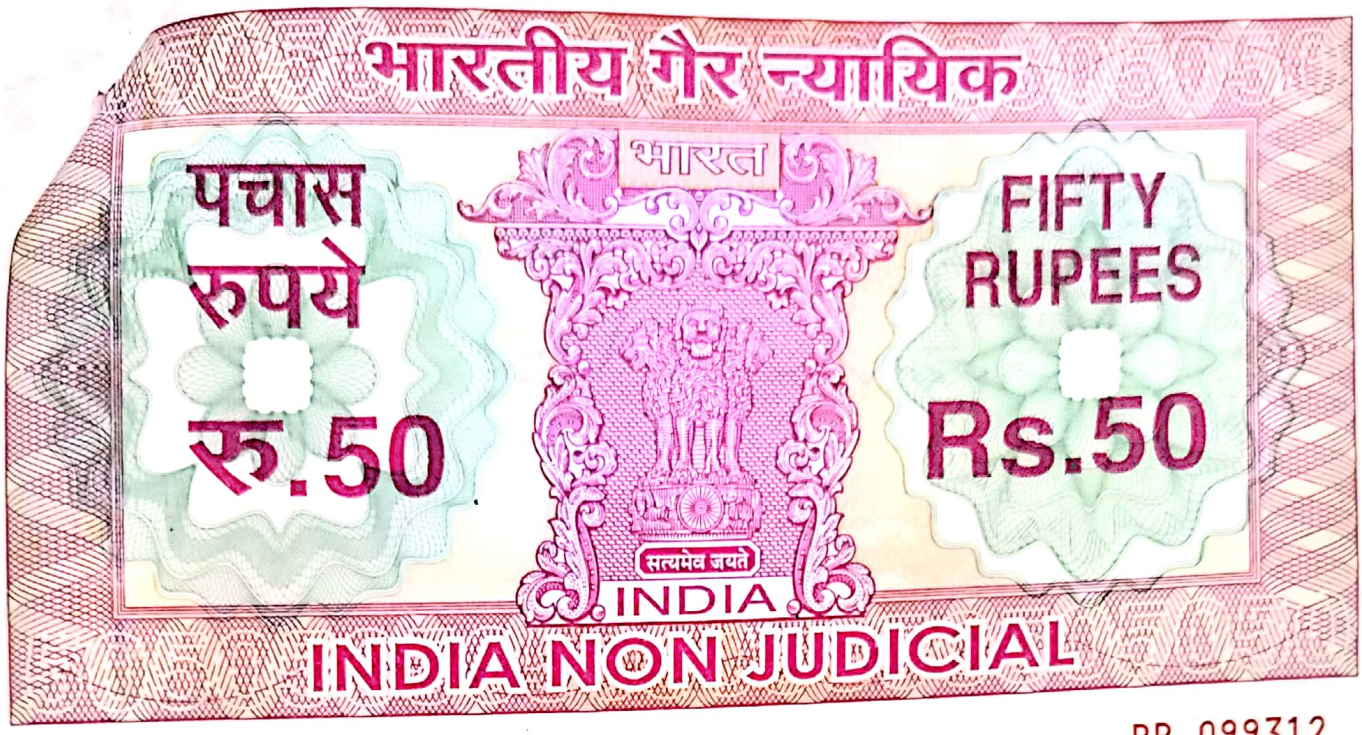


BR 099312

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



7- **आगे न्यास की गतिविधियों को उपरोक्त उद्देश्यों एंव लक्ष्यों की प्राप्ति में सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से न्यास को सेटलर/सचिव से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होगा :-**

1- अनुदान,दान उपहार,धन की वसीयत तथा सभी प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति को बिना किसी शर्त या किसी विशेष नियम व शर्त जो कि न्यास के लक्ष्य एंव उद्देश्यों के विपरीत न हो को मांगना, क्रय विक्रय करना या स्वीकार करना ।

2- न्यास से सम्बन्धित या उसके नियंत्रण की किसी सम्पत्ति एवं सम्पत्तियों को बेचनें देना,आदान प्रदान करना,बंन्धक रखना, चार्ज करना,पट्टे पर देना, जमानत पर बदलना,निस्तारित कर देना या अन्य प्रकार से डील करना।

3- समय-समय पर बैंक वित्तीय संस्थानों या सगंठनों आदि से न्यास के किसी उद्देश्यों हेतु सेक्योरिटी या सेक्योरिटी के बिना न्यास के वर्तमान या भविष्य के असेट्स-विल्डिग,मशीने भूमि व सामानों का बन्धक चार्ज क्रियेट करके या हायपोथिलेट करके या इन सबके बिना धन इकट्ठा करना या ऋण लेना तथा ऋणदाताओं को विक्रय का अधिकार या अन्य अधिकार देना जैसा कि उचित हो तथा इस प्रकार कि सेक्योरिटीज को खरीदना या उन्हें छुड़ाना।

4- न्यास के किसी धन को जिसका न्यास के किसी उद्देश्य हेतु तात्कालिक आवश्यकता न हो तो न्यास के संविधान में प्रदत्त तरीके से निवेशित करना तथा डील करना जैसा कि समय-समय पर तय किया जा सकता है।

5- **न्यास के लक्ष्य एंव उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यास को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होगें :-**

क- विधालयों कालेजों तथा ऐसे संस्थानों जो विकलांग बच्चों को सहायता देते हों उनके विधार्थियों को ऋण देना,निःशुल्क पुस्तकें देना पुरस्कार देना, आर्थिक सहायता देना तथा आर्थिक रूप से हानि में रहने वाले समूहों को उपर्युक्त प्रकार की सहायता देना।

ख- न्यास कोषों या उसके किसी भाग को न्यास बनाने में या उससे सम्बन्धित प्रबन्धन व प्रशासन में होने वाले खर्चे को देना जिसमें सभी प्रकार के किराये,कर तथा कर्मचारियों का वेतन,इंजीनियरों का भुगतान तथा तकनीकी प्रोफेसरों का भुगतान करना जो शैक्षिक निर्देशन एंव सहायता देती हों।

रजी आलम पठान

Scanned with OKEN Scanner

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

**AADTP9187G**

नाम / Name
**PATHAN CHARITABLE TRUST**

18112018

निगमन/गठन की तारीख
Date Of Incorporation/Formation
**24/10/2018**

Scanned with OKEN Scanner